

29.2.16

पञ्जावली पेश हुई। बकुलाय फरीकें उपस्थित आज पीठासीन अधिकारी की प्रथम/अथ राजकीय कार्य में व्यस्त/अपकाश कर है। निम्न आदेश दि. 11.4.16 को देना है।

रीज

12.3.16

काई सीट्स एवं काउन्सलिंग के स्वीकार हैं

Signature

12/03/16

वापिस का कागज

वापिस का कागज

से कागज वापिस

कागज वापिस



Signature

सहायक कलक्टर एवं कार्यभारक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) सीकानेर

आज यह पञ्जावली राष्ट्रीय लोक अदालत पर पेश हुई। वकील आदीगण श्री सुमैरदान जीबू डायर प्रतिवादीगण के वकील श्री जयचन्द लाल साख्त डायर बकुलाय फरीकें के प्रकरण को लोक अदालत श्री भावना से निस्तारण करने का निवेदन करते हुए कहा कि सभी पक्षों के मध्य वादगी और पर राजीनामा हो चुका है। जिसके फलस्वरूप सभी पक्ष वादगीत भूमि ग्राम गीगास्तर के रकतकास्तर नं. 83, 132, 166, 210, 457, 510/50, 611/458, 453, और 72 तादादी 43.87 हेक्टर वादगीत भूमि का विभाजन By meets and bounds "अच्छी से अच्छी" व "बुरी से बुरी" के तहत करवाने के सहमति दी है। इसी आशय के सहमति रूप दस्तावेज उभय-पक्ष

के अधिवक्ताओं द्वारा पत्रावली पर
क्रिये गए हैं। साथ ही वकील प्रतिवादी-
गण द्वारा प्रकरण का निस्तारण "By
Meets and Bounds" के आधार
पर क्रिये जाने का पेशा. पत्र पेश
किया है।

अतः उक्तपत्र के अधिवक्ताओं
द्वारा लोक अदालत की भावना से
प्रकरण के निस्तारण के निवेदन को
स्वीकार किया जाता है तथा वादगत
भूमि गूम मीगासर के खेत तथा
ख. नं. 83, 132, 166, 210, 457, 510/50,
611/458, 453 और 72 तावदी 43.87
हैक्टर के क्रम में "By Meets and
Bounds" के तहत प्राथमिक डिक्री
जारी करने के आदेश दिये जाते
हैं। तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर
को प्राथमिक डिक्री के आधार पर
विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने
के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार
(राजस्व) बीकानेर को निम्न व

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
बीकानेर



डिप्टी सी प्रोपर्टी पालनार्थ भिजवाई
जावे।



निर्णय आज दिनांक 12.3.16
द्वारा राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत
में प्रो. द्वारा लिखाया जाकर
सुनाया गया।

पत्रावली फॉर्मल नुमांर होकर बाद
तरतीब तम्मील वाखिल दफ्तर हो।


(सोमप्रकाश)

जिल्हा सहायक कलेक्टर पब्लिक प्रोपर्टी
कार्यालय (फास्ट ट्रॅक)
बीकानेर
(फास्ट ट्रॅक) बीकानेर

